बिना कम्प्यूटर ज्ञान इंक्रीमेंट नहीं

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

अब बिहार प्रशासनिक सेवा के उन्हीं पदाधिकारियों को इंक्रीमेंट मिलेगा, जिनके पास कम्प्यूटर में दक्ष होने का प्रमाण-पत्र होगा। सरकार ने कुछ समय पहले बिहार सरकारी सेवक (सम्पुष्टि के लिए कम्प्यूटर साक्षरता) नियमावली, 2011 में इससे संबंधित संशोधन किया था। अब पदाधिकारियों को लैपटॉप देने की योजना में भी कम्प्यूटर लिट्रेसी को अनिवार्य कर दिया है। पदाधिकारियों को कम्प्यूटर साक्षर बनाने का जिम्मा डीओईएसीसी सोसाइटी को सौंपा गया है। पदाधिकारियों के अलावा कम्प्यूटर का प्रशिक्षण लिपिकों के लिए भी अनिवार्य कर दिया गया है।

इस सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने एक पत्र भी जारी किया है। इसके अनुसार, जिलों में

पोस्टेड पदाधिकारियों को उनके जिले में ही मौजूद डीओएसीसी सोसाइटी से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण ले सकते हैं। ऐसे संस्थान तकरीबन सभी जिलों में हैं। लैपटॉप देने की योजना के मद्देनजर इस प्रशिक्षण को और भी अनिवार्य बनाया गया है।

सजगता उतनी नहीं, जितनी है जरूरत

इसके लिए पदाधिकारियों को भी सजग होने की जरूरत है। डीओईएसीसी पदाधिकारियों के लिए मुख्य रूप से दो तरह की परीक्षा का आयोजन करता है। एक बिना प्रशिक्षण के और दूसरा प्रशिक्षण के साथ। बिना प्रशिक्षण के सिर्फ परीक्षा देने वाले कार्यक्रम में आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर है। डीओएसीसी से मिली जानकारी के अनुसार, अभी तक करीब 70 पदाधिकारियों ने ही इसके तहत आवेदन किया है। इससे पहले हुई परीक्षा में सिर्फ 10 ने ही आवेदन किया था। कुछ महीना पहले कुछ पदाधिकारियों ने एक ग्रुप बनाकर प्रशिक्षण लिया था, लेकिन इसके बाद ऐसी कोई जागरूकता नहीं देखी गई है।